न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–रामरतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 28/19 निर्णय दिनांकः– 29–11–2019

1. प्रतापसिंह पुत्र स्व. चन्दूराम जाति जाट निवासी ढिंगारला तहसील राजगढ़ जिला चूरू।

2. तारावती
3. गिरदावरी
4. धापां उर्फ धापी
5. कमलेश

पुत्रियॉ स्व. चन्दूराम जाति जाट निवासी ढिंगारला तहसील राजगढ़ जिला चूरू जरिये मु.आम प्रतापसिंह

–अपीलांट्स

–बनाम–

राजस्थान सरकार जरिए पैरोकारराज

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरुद्ध आज्ञा दिनांक 31–01–1985
सहायक उपनिवेशन आयुक्त, छतरगढ़ मु.बीकानेर

उपस्थितः–

1. श्री रफीक शाह, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक उपनिवेशन आयुक्त, छतरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 31–01–1985 जिसके द्वारा अपीलांट्स के पिता को पूर्व में अन्य कोआवंटित भूमि का आवंटन किया गया है के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि सन् अपीलांट द्वारा 1985 में पुख्ता आवंटन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। जो जांच फोटो फार्म अपीलांट को भूमिहीन श्रेणी भूमि आवंटन पाने का पात्र धोषित किया जाकर दिनांक 31–01–1985 को पत्रावली आवंटन सलाहकार समीति के समक्ष प्रस्तुत होने पर बतौर भूमिहीन श्रेणी में 26 बीधा कमाण्ड भूमि पाने के लिए सक्षम धोषित किया गया। आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलांट्स के पिता को तहसील खाजुवाला के चक 01 एनजीएम के मुरब्बा नम्बर 30/17 के किला नम्बर 15 ता 25 में 11 बीघा व मुरब्बा नम्बर 29/40 के किला नम्बर 01, 08 11 ता 15, 17 ता 24 कुल

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

15 बीघा इस प्रकार कुल 26 बीघा भूमि का आवंटन कर दिया गया। जबकि उक्त भूमि में से मुरब्बा नम्बर 29/40 के किला नम्बर 01, 08 11 ता 15, 17 ता 24 कुल 15 बीघा भूमि पूर्व से ही अन्य व्यक्ति को आवंटित थी। ऐसीस्थिति में उक्त भूमि पूर्व में ही आक्यूपाईड़ लैण्ड थी। जो सहवन से अपीलांट्स के पिता को आवंटित कर दी गई। अपीलांट्स के पिता को उक्त भूमि पर कब्जा प्राप्त नहीं हो सका। इस प्रकार पूर्व में आवंटित भूमि जो अपीलांट्स के पिता को आवंटित की गई वो आवंटन एनिशियो वॉयड़ होने के कारण निरस्त योग्य है। अपीलांट एक गरीब काश्तकार मजूदर पेशा व्यक्ति है व भूमि आवंटन करवाने की पात्रता रखता है। अतः अपीलांट को 15 बीधा भूमि की पात्रता के अनुसार आवंटन किया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलांट्स ने अपने पिता के आवंटन की पत्रावली निकलवाने पर ज्ञात हुआ कि अपीलांट्स के पिता को दो मुरब्बों में 26 बीघा भूमि का आवंटन हुआ है। ऐसीस्थिति में अपीलांट्स द्वारा विनिमय में अन्य भूमि आवंटन करने का निवेदन करने पर उन्हें अवगत कराया गया कि डबल आवंटन के तहत विनिमय कमेटी व आवंटन सलाहकार समिति की राय से आवंटन किया गया जायेगा। परन्तु आज दिनांक तक अपीलांट्स को अन्य भूमि का आवंटन नहीं किये जाने पर अपीलांट्स द्वारा उक्त अपील जानकारी के दिन से अपील अन्दर मियांद पेश की जा रही है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया है। अतः अपील अन्दर मियांद धोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 31—01—1985 को पारित किया गया है जिसके विरुद्व अपीलांट ने अपील दिनांक 01—02—2019 को पेश की है। जो मियांद बाहर है। अतः अपील मियांद बाहर होने से खारिज फरमाई जावे। अपीलांट को वर्ष 1985 मे आवंटन किया गया था किन्तु जब विवादित भूमि डबल आवंटन की श्रेणी में आती है तो अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में उसी समय दूसरे रकबे के आवंटन की कार्यवाही करनी चाहिए थी। जो नहीं की गई है। अपीलांट अब 35 वर्ष बाद अन्य रकबा आवंटन कराना चाहता है जो नहीं किया जा सकता। अतः अपीलांट की अपील मियांद के बिन्दु के साथ—साथ गुणावगुण पर भी खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. अपीलांट्स के पिता को सहायक उपनिवेशन आयुक्त छतरगढ़ मु. बीकानेर ने दिनांक 31—01—1985 को जरिये लाटरी चक 01 एनजीएम के मुरब्बा नम्बर 30/17 के किला नम्बर 15 ता 25 में 11 बीघा व मुरब्बा नम्बर 29/40 के किला नम्बर 01, 08 11 ता 15, 17 ता 24 कुल 15 बीघा इस प्रकार कुल 26 बीघा भूमि का आवंटन कर दिया गया तथा आवंटित

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

भूमि का आवंटन आदेश भी निर्धारित प्रपत्र में जारी कर दिया गया। जबकि उक्त आवंटित भूमि में से मुरब्बा नम्बर 29/40 के किला नम्बर 01, 08 11 ता 15, 17 ता 24 कुल 15 बीघा भूमि पूर्व से ही अन्य व्यक्ति को आवंटित थी।

प्रकरण में अपीलांट्स ने सहायक उपनिवेशन आयुक्त के आदेश दिनांक 31–01–1985 के विरुद्व दिनांक 01–02–2019 को अपील पेश की है। अपीलांट्स ने अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसमें अंकित किया है "कि प्रार्थी को चक 01 एनजीएम के मुरब्बा नम्बर 29/40 के किला नम्बर 01, 08 11 ता 15, 17 ता 24 कुल 15 बीघा भूमि के डबल आवंटन होने की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 31–12–2018 से पूर्व नहीं हुई। अपीलांट्स ने अपने मियांद प्रार्थना पत्र में इस बाबत् स्पष्ट रूप से अंकन किया है। किन्तु अपीलांट्स द्वारा वादग्रस्त भूमि अपीलांट्स के पित के आवंटन से पूर्व अन्य व्यक्ति को होने के संबंध में किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट अथवा अन्य व्यक्ति के पूर्व के आवंटन के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य यथाआवंटन आदेश की प्रति/नामान्तरणकरण की प्रति हमारे समक्ष पेश नहीं की है। जिससे यह साबित हो सके कि अपीलांट्स के पिता के आवंटन से पूर्व ही उपरोक्त भूमि अन्य व्यक्ति को आवंटित थी। प्रकरण में अपीलांट्स के पिता स्व. चन्दूराम द्वारा अपने जीवनकाल में उपरोक्त डबल आवंटन के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार की कोई चाराजोई की गई हो ऐसा कोई तथ्य भी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। ऐसीस्थिति मे अपीलांट के कथन साबित नहीं होते है कि उसे डबल आवंटन की जानकारी दिनांक 31–12–2018 को प्राप्त हुई। इसके अलावा ना ही अपीलांट्स द्वारा 35 वर्ष विलम्ब से आवंटन का रेकार्ड में अंकन नहीं कराने का कोई सुसंगत कारण बताया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट ने अपने मियांद प्रार्थना पत्र में कोई सन्तोषप्रद कारण मियांद कन्डोन करने के लिए अंकित नहीं किये है। ऐसी स्थिति में अपील मियांद बाहर धोषित की जाती है। प्रकरण में अपीलांट्स गुणावगुण के आधार पर भी किसी प्रकार की राहत पाने का अधिकारी नहीं है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट्स की अपील मियांद बाहर होने व गुणावगुण पर खारिज की जाती है एवं सहायक उपनिवेशन आयुक्त छतरगढ़ मु.बीकानेर का आदेश दिनांक 31–01–1985 बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 29–11–2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामरतन सोंकरिया)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2019.12.26 17:00:19 IST
Reason: SelfAttested
Location: